

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनुं (राज०)
मुकदमा किरम मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
116/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 15.10.2019 04.11.2019

उनवान सरकार बनाम गोकल पुत्र काना जाति माली निवासी ढाणा तहसील बुहाना
जिला झुन्झुनुं (राज०)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ढाणा ने सम्वत 2076 में इस आशय की
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणा की राजकीय भूमि ख० न० 437 कुल रकबा 5.50 है०
किरम गै० मु० नदी मे से 0.35 है० भूमि पर अतिकमी गोकल पुत्र काना जाति माली निवासी
ढाणा में अवैध रूप से बाड. छड़ी व जोत कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।


रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी
को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिकमी
द्वारा राजकीय भूमि में बाड. छड़ी व जोत कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने
के फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से बाड. छड़ी व जोत कर
अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/— का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख०
न० 437 लगान 0.35 की 50 गुणा जुर्माना राशि 18/— बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू० अ० निरीक्षक/पटवारी हल्का को वारते जमा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमित
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।


उप तहसीलदार सिंधाना

उप तहसीलदार सिंधाना
15/10/2019

उ. अ. अ. अ. अ. अ.